

## किफायती आवास निधि (एएचएफ)

किफायती आवास निधि (एएचएफ) - भाग 1 और 2 (वर्ष 2019-20) के तहत यथा 29-12-2020 तक रा.आ.बैंक के पास उपलब्ध निधियों की स्थिति नीचे तालिका में दी गई है:

(₹ करोड़ में)

	एएचएफ
22.06.2020 & 19.10.2020 को प्राप्त निधियां	2523.675
उपलब्ध निधियां	175.21

इस निधि का उपयोग प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों जैसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आवास वित्त कंपनियों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आदि द्वारा ग्रामीण और शहरी श्रेणी में आने वाले 01-04-2017 को या इसके बाद संस्वीकृत या संवितरित व्यक्तिगत आवास ऋणों को पुनर्वित्त करने के लिए किया जाएगा। इस योजना का विवरण रा.आ.बैंक की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है।

जिन दरों पर राष्ट्रीय आवास बैंक प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों (पीएलआई) को ऋण देगा और एएचएफ - भाग 1 और 2 के तहत उस पर ब्याज प्रभारण सीमा नीचे दी गयी है, 31-12-2020 तक मान्य:

निधि	प्राथमिक ऋणदाता संस्थान (पीएलआई)	ब्याज दर (स्थिर)	ब्याज प्रभारण सीमा
एएचएफ	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, आवास वित्त कंपनियां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, आदि।	3 % प्रति वर्ष	9.515% (30-09-2020 यानी 6.015% पर 10 साल की जी-सेक उपज पर 350 बीपीएस)
	अन्य	3 % प्रति वर्ष	6.50% (पुनर्वित्त दर प्लस 350 बीपीएस)